

**प्रेस नोट:-**

**कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक-04.04.2019**

**यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-**

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **109 वाहनों से मु0- 16600 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

**शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 14 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**05 वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 03.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल-07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 190 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-

**थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. स्वामीनाथ पुत्र बाकेंलाल सोनकर निवासी दलपतपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 50 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-101/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. विजय प्रकाश पुत्र बाबू राम सोनकर निवासी पासी पुरवा मौजा वीरपुर झिलहिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 50 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-76/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. रामसागर पुत्र रामराज खटिक निवासी चिडिया मलारी थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-114/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. धनलाल पुत्र गंगाराम निवासी गोडियनपुरवा मौजा सकरौरा ग्रामीण थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-147/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. उमेश कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी करियापुरवा मौजा गौरिया थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-88/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. काशीराम पुत्र रामधीरज निवासी विसेनपुर मौजा खानपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-136/19, 02. जितेन्द्र उर्फ रिकू पुत्र रामकिशुन निवासी बेइलिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-137/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को किशोर न्यायबोर्ड रवाना किया गया-**

गोण्डा। गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधि का उल्लंघन करने का बालक को थाना तरबगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0-85/19 धारा 376 भादवि 3/4 पास्को एक्ट व 3(2)(5)एस0सी0एस0टी0 एक्ट के तहत पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

उक्त किशोर पर थाना तरबगंज क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिक लड़की के साथ लज्जाभंग करने का आरोप है। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के घर वालो द्वारा थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें तरबगंज पुलिस द्वारा उक्त किशोर को अभिरक्षा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## विवेचनाओं का निस्तारण—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 26 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

## बरामदगी—

01. 190 ली0 अवैध कच्ची शराब।

## सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 04.04.2019

## मोटरसाईकिल चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की गयी अपाचे बाइक

### बरामद—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. शुभम सिंह पुत्र भानू प्रताप सिंह नि0 तॉबेपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-98/19 धारा 379.419.420.468.471.411 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद टीवीएस अपाचे।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 24.03.2019 को बभनान रेलवे स्टेशन से अज्ञात चोर द्वारा वादी प्रभाकर तिवारी निवासी कम्मरपुर बरुआ थाना छपिया की अपाचे बाइक यू0पी0 42 ए इ 1281 चोरी करके फरार हो गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना छपिया में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। आज दिनांक 04.04.2019 को चौकी प्रभारी बभनान मय टीम के साथ बहद ग्राम बभनी शराब फैक्ट्री के मोड पर चेकिंग के दौरान आरोपी अभियुक्त शुभम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की अपाचे बाइक बरामद कर लिया गया। अभियुक्त द्वारा मोटर साईकिल की नं0 प्लेट बदल कर उस पर यू0पी0 53 बी0एल0 2291 लिखाकर चलाया जा रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 राजकुमार सिंह चौकी प्रभारी बभनान।
02. उ0नि0 कामेश्वर राय।
03. का0 धर्मवीर यादव।
04. का0 चेतन पाण्डेय।
05. का0 अखिलेश राय।
06. का0 जागेश्वर गौड़।